न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 27/2021
GCMS No-2021/93

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली हाल बांसवाडा		खेताराम पुत्र श्री मांगीलाल माली मैसर्स रतनराज एजेन्सी, रणकपुर रोड सादडी, जिला पाली,राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.06.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए लिखित में अपना जवाब पेश किया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 05.04.2020 को दौराने गश्त मैसर्स मैसर्स रतनराज एजेन्सी, रणकपुर रोड सादडी, पर गया। फर्म पर अप्रार्थी खेताराम उपस्थित मिला जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी की फर्म पर घी वल्लभ ब्राण्ड के 38 पैक टीन रखे हुए थे। प्रत्येक टीन में 15 किलोग्राम घी था, जिस पर घी ब्राण्ड श्री वल्लभ लिखा हुआ था, जो आमजन को बिक्री के लिए रखा हुआ था, उसमे मिलावट का शक होने पर मौके पर प्रपत्र 5 ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी, गवाह व अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया था कि घी का नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। उक्त घी (वल्लभ ब्राण्ड) के टीन मे से 1600 ग्राम घी सुखे साफ स्टील के भगोने मे लेकर अप्रार्थी एवं गवाह की उपस्थित में बराबर चार भागों मे विभाजित किया जिसकी किमत 640/– रूपये अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी एवं गवाह ने हस्ताक्षर किये। घी (वल्लभ ब्राण्ड) की चारो बोतलो में प्रत्येक मे 400–400 ग्राम घी पर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–1058 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर प्रार्थी, अप्रार्थी एवं मौजुद गवाहान के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया घी (वल्लभ ब्राण्ड) के चारो नमुना शीशी को नियमानुसार सीलबंद व सीलमुहर किया जिस पर विक्रेता, गवाह एवं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। अप्रार्थी से घी (वल्लभ ब्राण्ड) के खरीद बिल के बारे में पुछने पर बिल नही होना बताया। प्रार्थी ने मौके पर मौका फर्द तैयार कर अप्रार्थी एवं गवाह के सामने पढकर सुनाया ओर हस्ताक्षर करने को कहा। विक्रेता, गवाहान, ने मौका फर्द सुनकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने अपने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 06 की प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमुना सील लगाई। नमूना शीशी सील कर नियमानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को दिनांक 06.04.2020 को प्रार्थी द्वारा जमा करवा कर रसीद प्राप्त की उसके पश्चात उक्त नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में दिनांक 07.04.2020 को जमाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन कमांक एल.एस./232/एक्ट/2020/5150–51 दिनांक 18.05.2020 में प्रार्थी द्वारा लिया गया घी (वल्लभ ब्राण्ड) का नमूना मानक स्तर का पाया जाने पर अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली द्वारा उक्त नमुने की द्वितीय जांच हेतु रेफरेल खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

प्रयोगशाला पूणे भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट संख्या आरएफएल/डीओ/177/20/450/2020 दिनांक 24.07.2020 के अनुसार उक्त नमुना संख्या 1058 Sub Standrad स्तर का पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub Standrad घी (वल्लभ ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नही दोहरायी जायेगी एवं पुरी तरफ से सावधानी बरती जायेगी। अतः अप्रार्थी पर कम से कम शास्ति आरोपित कर प्रकरण निस्तारित करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी की स्वीकारोक्ति पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.04.2020 को अप्रार्थी की फर्म से खाद्य पदार्थ घी (वल्लभ ब्राण्ड) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1058 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./232/एक्ट/2020/232 दिनांक 20.04.2020 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1058 को मानक स्तर का पाया जाने पर अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली द्वारा स्वयं विवेक से उक्त नमुने की पुनः द्वितीय जांच हेतु रेफरेल खाद्य प्रयोगशाला पूणे भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नमुना क्रमांक आर–1058 Sub Standrad स्तर का पाया गया जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है, चूंकि प्रकरण में अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया है तथा स्वीकारोक्ति के पश्चात किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ घी (वल्लभ ब्राण्ड) Sub-standard का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 25000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी व प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.06.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली